न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः— श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण सख्या : 32/2018

बउनवानः—

1. रूकमणी बाई बेवा
2. जमनालाल पुत्र
3. रविकान्त पुत्र

} फूलचंद जाति मीणा निवासीगण जारेला तह0 मांगरोल

...प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र वास्ते दुरूस्त किए जाने रकबा अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0

वकील प्रार्थीगण : श्री महेन्द्र सिंह हाडा

दायरा दिनांकः 22.11.2018 | निर्णय दिनांक : 14.12.2020

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2075—78 ग्राम जारेला तह0 मांगरोल में प्रार्थीगण के खाता क्रमांक 79 नया खाता सं0 पुराना 101 में आराजी खसरा नं0 8 रकबा 3.59 है0, खसरा नं0 151 रकबा 1.00 है0, खसरा नं0 151/271 रकबा 1.00 है0 व खसरा नं0 217 रकबा 0.08 है0 कुल 5.67 हे0 दर्ज हो रही है। सेटलमेंट के पूर्व प्रार्थीगण के पिता फूलचंद पुत्र किशनलाल के खाते में जमाबंदी सम्वत 2037—40 में साबिक खसरा नं0 6 रकबा 23 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं0 103 रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा और खसरा नं0 [illegible] रकबा 12 [illegible] कुल 38 बीघा 5 बिस्वा खाते में दर्ज हो रही है। हाल सेटलमेंट होने के पश्चात प्रार्थीगण के खाते में 5.67 [illegible] आराजी दर्ज की गयी सेटलमेंट होने से पूर्व आराजी 38 बीघा 5 बिस्वा दर्ज थी। तुलना करने पर राजस्व कर्मचारियों ने प्रार्थीगण के बाद सेटलमेंट 2 बीघा 16 बिस्वा यानी 0.45 है0 आराजी कम करने [illegible] में दर्ज कर दी है। हाल खसरा नं0 8 का रकबा 3.59 है0 दर्ज किया गया है। जिसका पूर्व साबिक खसरा नं0 6 रकबा 23 बीघा 16 बिस्वा था इस तरह कर्मचारियों ने 17 ऐयर आराजी कम करके प्रार्थीगण के खाते में 3.59 है0 आराजी दर्ज की है। साबिक खसरा नं0 103 रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा आराजी हाल सेटलमेंट से पूर्व प्रार्थीगण के पिता के खाते में दर्ज थी। हाल खसरा नं0 151/271 रकबा 1.00 है0 व खसरा नं0 151 रकबा 1.00 है0 दर्ज किये गये

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2021.02.03 12:28:46 IST
Reason: SelfAttested

इस तरह दौराने सेटलमेंट प्रार्थीगण की आराजी लगभग 2 बीघा 16 बिस्वा यानी 0.45 है0 कम दर्ज कर दी गयी। प्रार्थीगण उक्त आराजी को पीढी दर पीढी काश्त करते चले आ रहे है। अतः निवेदन है कि खसरा नं0 8 रकबा 3.59 है0 ग्राम जारेला में 17 ऐयर आराजी पूरी की जाकर खाते में 3.76 है0 दर्ज की जावें तथा खसरा नं0 151 रकबा 1.00 है0 व खसरा नं0 151/271 रकबा 1.00 है0 में 0.45 है0 बढाया जाकर खाते में खसरा नं0 151 रकबा 1.44 है0 दर्ज किया जावें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार भी है को रिपोर्ट हेतु तबल किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) ने अपने पत्र क्रमांक/भू0अ0/2020/225 दिनांक 22.01.2020 से जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार ग्राम जारेला की जमाबंदी सम्वत 2037–40 के खाता संख्या 26 पर खसरा नं0 6 रकबा 23 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं0 103 रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं0 164 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 38 बीघा 5 बिस्वा दर्ज रेकार्ड था। जिसमें गत खसरा नं0 6 रकबा 23 बीघा 16 बिस्वा का हाल खसरा नं0 8 रकबा 3.59 है0, खसरा नं0 103 रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा का हाल खसरा नं0 151, 151/271 रकबा 1.00 है0 तथा गत खसरा नं0 164 रकबा 12 बिस्वा का हाल खसरा नं0 217 रकबा 0.08 है0 कायम हुआ है। चूकि समीपवर्ती खातेदारान के रकबे में वृद्धि नही हुई है अतः कमी रकबे की पूर्ति किया जाना संभव नही है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का प्रार्थना पत्र के संदर्भ में आद्योपान्त अध्ययन, अवलोकन व मनन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने यह तो जाहिर किया है कि सेटलमेंट के बाद रकबे में कमी हुई है परन्तु यह स्पष्ट नही किया है कि किस खसरा नम्बरान में रकबा बढा है और ना ही यह स्पष्ट किया है कि किस खसरा नम्बर में रकबे की कमी की जाकर प्रार्थी के रकबे में हुई कमी की पूर्ति की जावें। पत्रावली में संलग्न अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) के जवाब के अनुसार समीपवर्ती खातेदारान के रकबे में वृद्धि नही हुई है जिस कारण रकबे की पूर्ति किया जाना संभव नही है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2020 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2021.02.03 12:28:46 IST
Reason: SelfAttested